# न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

**पीठासीन अधिकारी : मयंक मनीष, IAS**
**पत्रावली संख्या : 70/20 (प्रा0पत्र)**
**GCMS No. : 2020/00273**

**अनवान्**

1. श्री बाबुलाल पिता गणेश डांगी निवासी नाहरमगरा तह. मावली।
2. श्री बंशीलाल पिता खेमराज डांगी निवासी नाहरमगरा हाल नान्दवेल तह. मावली।

.............प्रार्थीगण

**बनाम**

1. श्री कजोड पिता अमरा मेघवाल निवासी नान्दवेल तह. मावली।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

..................विपक्षीगण

**उपस्थित–1.** श्री ओमप्रकाश डागलिया, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री चन्द्रपुरी गोस्वामी, अधिवक्ता विपक्षी सं. 1

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

## –: : निर्णय : :–

**दिनांक : 16.03.2021**

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम नान्दवेल पटवार हल्का नान्दवेल की आराजी नम्बर 1304 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा उक्त वर्णित आराजीयात वर्तमान में राजस्व रेकार्ड नकल जमाबन्दी में प्रार्थीगण का 1/10 व विपक्षी कजौड का 1/3 हिस्सा दर्ज हैं। उक्त वर्णित आराजीयात जो संयुक्त शामलाती रूप से राजस्व रेकार्ड में हम प्रार्थीगण व विपक्षी सं. 1 के नाम से हिस्सेनुसार दर्ज हैं, परन्तु मौके पर प्रार्थीगण व विपक्षी सं. 1 के मध्य आपसी सहमति के आधार पर बंटवाडा कर अपने–अपने कब्जे व हिस्से अनुसार उपयोग–उपभोग कर रहे है, व उक्त वर्णित पर शामलाती रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है, प्रार्थीगण ने दिनांक [illegible] को दलीचन्द, जगदीश मोहनलाल को अपने 1/5 वें हिस्से में 1/[illegible] वां हिस्सा दलीचन्द, जगदीश मोहनलाल को विक्रय करने के बाद सभी खातेदारों की सहमति से जो मौके पर बंटवाडा कर रखा था, उक्त बंटवाडे के अनुसार हम प्रार्थीगण के 1/5 वां हिस्से पर हम प्रार्थीगण काबिज थें, उसमें से दलीचन्द, जगदीश मोहनलाल ने विक्रय कर कब्जा सिपूर्द कर दिया व मौके पर दलीचन्द, जगदीश मोहनलाल हम प्रार्थीगण द्वारा विक्रय किये गये हिस्से पर दुकाने व मकान बना

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.04.05 16:56:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

लिये है दलीचन्द, जगदीश मोहनलाल ने 1/10 वें हिस्से पर दलीचन्द, जगदीश मोहनलाल के निर्माण कार्य के पश्चिम व दक्षिण दिशा खेमली रोड की तरफ हम प्रार्थीगण का शेष हिस्सा कब्जे में है व काशीराम ने भी अपने 1/10 वें हिस्से पर मकान व दुकान का निर्माण कार्य कर अपने परिवारजन सहित निवास कर रहा है इस तरह प्रार्थीगण व विपक्षी एवं अन्य सहखातेदारान मौके पर सभी सहखातेदारों की सहमति से बंटवाडा कर अपने-अपने हिस्से व कब्जे में है व विपक्षी कजौड पिता अमरा जी मेघवाल जो अपने हिस्से पर निर्माण कार्य नहीं करवा कर हम प्रार्थीगण का 1/10 वां हिस्सा जो मौके पर प्रार्थीगण के कब्जे की है उस पर निर्माण कार्य करने पर उतारू है इसलिए जब तक आप माननीय न्यायालय द्वारा बंटवाडा नहीं हो जाता है तब तक विपक्षी कजौड पिता अमरा जी मेघवाल को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से इस हेतु पाबंद फरमाया जावे कि वह प्रार्थीगण के हक हिस्से व कब्जे वाली भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करे, व जब तक बंटवाडा नहीं हो जाता हैं तब तक प्रार्थीगण भी अपने हिस्से की जमीन पर कोई निर्माण कार्य नहीं करेगा न ही विपक्षी सं. 1 कोई निर्माण कार्य करे इस बात हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा द्वारा पाबंद फरमाया जावें कि वह विपक्षी सं. 1 कजौड प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात का बिना बंटवाडा कराये प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में किसी भी तरह से निर्माण नहीं करें।

2. यह कि हम प्रार्थीगण का प्राइमाफैसी केस है क्योंकि उक्त वर्णित जमीन हम प्रार्थीगण व विपक्षी सं. 1 के संयुक्त हिस्सेनुसार कब्जे अधिकार आधिपत्य में चली आ रही है व मौके पर प्रार्थीगण व विपक्षीगण आपसी सहमति के आधार पर बंटवाडा कर रखा है व बंटवाडे के अनुसार प्रार्थीगण व विपक्षी सं. 1 अपने-अपने हिस्से पर काबिज होकर उपयोग-उपभोग कर रहे है किन्तु विपक्षी सं. 1 कजौड पिता अमरा जी मेघवाल जोर जबरदस्ती ताकत के बल पर प्रार्थीगण के हिस्से की जमीन पर अपने हिस्से से अधिक जमीन पर निर्माण कार्य करने पर उतारू है जब तक बंटवाडा नहीं हो जावे तब तक विपक्षी सं. 1 को स्थायी निषेधाज्ञा जारी पाबंद फरमाया जावे कि उक्त वादग्रस्त भूमि को बिना बंटवाडा करवाये किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं करें तथा सुविधा संतुलन भी हम प्रार्थीगण के पक्ष में है क्योंकि उक्त वादग्रस्त आराजीयात में हम प्रार्थीगण ... हिस्सा निहित होकर मौके पर कब्जे में हैं।

3. यह कि हम प्रार्थीगण ने विपक्षी सं. 1 को दिनांक ... 2020 को उक्त वर्णित आराजीयात का बंटवाडा कराने के लिए कहा तो विपक्षी सं. 1 ने कोई ध्यान नहीं दिया और उक्त वर्णित आराजीयात का बंटवाडा कराने से इन्कार हो गये व विपक्षी सं. 1 कजौड अपनी ताकत के बल पर उक्त वर्णित आराजीयात पर निर्माण कार्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.04.05 16:56:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

करने पर उतारू है व हम प्रार्थीगण ने विपक्षी सं. 1 को कहा कि बंटवाडे करवाने के बाद निर्माण करे किन्तु मौके पर विपक्षी सं. 1 ने उक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि पर निर्माण कार्य करवाने हेतु पत्थर व मकान बनाने हेतु लाईनिंग का कार्य शुरू कर दिया व मना करने पर मरने–मारने पर उतारू है। इसलिए हम प्रार्थीगण को विवश होकर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड रहा हैं। जिससे प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 10.11.2020 को उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

4. अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण के पक्ष में व विपक्षीगण के विरूद्व निम्न आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करायी जावे कि प्रार्थना पत्र के निस्तारण होने तक प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में कोई निर्माण कार्य नहीं करे, तथा प्रार्थी को उक्त आराजीयात का शांति पूर्ण उपयोग उपभोग करने देवे तथा मौके पर रिकार्ड की स्थिति बनाए रखें।

5. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी उक्त भूमि में 10 बिस्वा भूमि का खातेदार काश्तकार है उसी हिस्से कब्जे की भूमि पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है मौके पर 8712 वर्गफीट कृषि भूमि में से महज कुछ वर्गफीट भूमि भू राजस्व अधिनियम के काश्तसुदा भूमि पर काश्तकार के निवास के लिए मकान का निर्माण किया जा रहा है जो काश्तकार के परिवार के रहने के लिए काम में आने वाला है जिसमें रहकर काश्तकार अपनी फसल की रखवाली काश्त का कार्य करेगा। वर्तमान में रोजडे फसल को बरबाद कर रहे है। इस कारण भी खेतों में रखवाली आवश्यक हैं। प्रार्थी ने जो भूमि खरीदी है उससे पहले से ही उक्त भूमि पर काबिज होकर अप्रार्थी काश्त करता आ रहा हैं। मेरी उक्त भूमि खरीदने के दो तीन साल बाद प्रार्थीगण ने भूमि की खरीद की है जबकि में कजौड पहले से काबिज भूमि पर ही काश्त कर रहा हुं। प्रार्थीगण की हिस्सा कब्जा में मैं कजोड किसी प्रकार से दखलन्दाजी नहीं कर रहा हं। प्रार्थीगण का कब्जा कहां है। प्रार्थीगण साबित करावें। मैं मेरी खातेदारी का उपयोग–उपभोग ही कर रहा हुं। मौके पर सहमति से काबिज होकर में हिस्सेनुसार ही काबिज होकर काश्त होकर जिस सीमा पर विवाद कर रहे है उस पर दिवार पक्की बना रखी उसी सीमा के अन्दर आवासीय मक[illegible] तारबन्दी और एक तरफ थुहर की बाड होकर मौके पर काबिज है। अतः [illegible] से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार [illegible] की कृपा करें।

6. हमने प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस [illegible] सुना। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.04.05 16:56:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

विपक्षी सं. 1 द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है:–

1. ***प्रथम दृष्टया मामला–*** उक्त वर्णित आराजीयात वर्तमान में प्रार्थीगण के नाम 1/10 हिस्सा एवं विपक्षी सं. 1 के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज हैं। वादग्रस्त भूमि के प्रार्थीगण व विपक्षी सं. 1 दोनों ही खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि के बंटवाडे एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया हैं उसी के साथ यह प्रार्थना पत्र पेश किया। वादग्रस्त भूमि सामलाती होकर प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 1 दोनों ही खातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण अपने पक्ष में साबित कराने में असफल रहे। अतः प्रथम दृष्टया मामला का बिन्दू प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित किया जाता हैं।

2. ***अपूरणीय क्षति–*** भूमि प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 1 के नाम दर्ज हैं। प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 1 दोनो ही खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि अविभाजित होकर सामलाती भूमि हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के विरूद्व साबित होने से अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित किया जाता हैं।

3. ***सुविधा का संतुलन–*** प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित किया जाने से सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित किया जाता हैं।

8. उपरोक्त बिन्दूवार विवेचन से प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि अविभाजित होकर प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 1 व अन्य सहखातेदारों के नाम दर्ज हैं। प्रार्थीगण द्वारा बंटवाडे का वाद प्रस्तुत किया है उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि में 1/10 हिस्सा हैं, विपक्षी सं. 1 का 1/3 हिस्सा हैं जो जमाबन्दी से स्पष्ट हैं। प्रार्थीगण का कथन है कि विपक्षी सं. 1 प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि पर निर्माण कार्य करने पर उतारू होने से उन्हे पाबंद किया जावें। प्रकरण में तह[illegible] रिपोर्ट तलब की गई। प्रकरण में दिनांक 25.11.2020 को [illegible] गई हैं। पटवारी रिपोर्ट अनुसार मौके पर [illegible] निर्माण कार्य कर रखा है एवं 64 फीट लम्बाई व 22 फीट चौडाई पर नीव भ[illegible]ाकर निर्माण कार्य विपक्षी सं. 1 कजोड द्वारा किया जाना बताया हैं। प्रकरण में विपक्षी सं. 1 कजोड द्वारा बताया कि वह बंटवाडे में प्राप्त अपने हिस्से की भूमि पर ही निर्माण कार्य करने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.04.05 16:56:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

कथन किया हैं। रहा प्रश्न निर्माण की स्थिति का प्रार्थीगण के कथनानुसार उसके हिस्से कब्जे की भूमि पर निर्माण कर रहा हैं, उक्त तथ्य को प्रार्थीगण साबित नहीं करा पाया हैं। प्रार्थीगण द्वारा इस सम्बन्ध में ऐसा कोई भी ठोस दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे प्रार्थीगण के कब्जे की भूमि में विपक्षी सं. 1 द्वारा निर्माण करने की स्थिति स्पष्ट हो सके। विपक्षी सं. 1 कजोड स्वयं वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार हैं। खातेदार काश्तकार होने से खातेदार को अपनी भूमि के उपयोग उपभोग का पूरा अधिकार हैं। विपक्षी सं. 1 खातेदार के विरूद्व यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो उसके हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन का बिन्दु व अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित किये गये हैं। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि के आधार पर तय किये जायेगे। अतः उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का *स्वीकार (अस्वीकार) योग्य पाया जाता हैं।

## –: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा हटाई जाती हैं। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) मावली, जिला-उदयपुर

(मयंक मनीष I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

सहायक कलक्टर (SDO) मावली

* आदेशिका दिनांक 17/3/21 की पालना में उक्त संशोधन किया जाता है। उक्त संशोधन "स्वीकार के बजाय अस्वीकार" किया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.04.05 16:56:45 IST
Reason: SelfAttested

# फर्द अहकाम

## कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री बाबुलाल | विपक्षी : श्री कजोड

केस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम | पत्रावली संख्या : 70/20

| क्रमांक | कार्यवाही विवरण | |
|---|---|---|
| | दिनांक : 17.03.2021<br><br>पत्रावली तलब की गई। प्रकरण दिनांक 16.03.2021 को प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जा चुका हैं। प्रकरण के निर्णय में कलम संख्या 8 की अन्तिम पंक्ति में टंकण त्रुटि से धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार के बजाय स्वीकार योग्य पाया जाता है अंकित हो गया हैं जबकि प्रकरण में निर्णय अस्वीकार होकर खारिज किया गया था जिसका आदेश भी इसी अनुरूप लिखा गया हैं। केवल मात्र टंकण त्रुटि से बिन्दु सं. 8 के अन्तिम पंक्ति में सहवन से अस्वीकार शब्द रह गया हैं। अतः न्यायहित में उक्त त्रुटि को संशोधित किया जाना उचित हैं ताकि तकनीकी जटिलताओं को दूर कर स्पष्टीकरण हो सके। अतः प्रकरण सं. 70/20 में निर्णय दिनांक 16.03.2021 में **कलम संख्या 8 के अन्तिम पंक्ति में स्वीकार शब्द के बजाय अस्वीकार शब्द संशोधित किया जाने का आदेश दिया जाता हैं।** उक्त संशोधन लाल स्याही से किया जावें। पत्रावली दाखिल दफ्तर की जावें।<br><br>(मयंक मनीष I.A.S.)<br>सहायक कलक्टर<br>(SDO) मावली | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.04.05 16:56:45 IST
Reason: SelfAttested